न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 09 / 2026
जदिया थाना काण्ड संख्या– 202 / 2023

	पंकज कुमार, पिता– उपेन्द राम, सा0– राजगंज वार्ड नं0 09, थाना– बिहारीगंज, जिला मधेपुरा..... आवेदक बनाम् बिहार सरकार..... विपक्षी	
08 / 04 / 26	प्रार्थी अभियुक्त पंकज कुमार की ओर से जदिया थाना काण्ड सं0 202 / 2023 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल झा द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे साजिश के तहत झुठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है तथा उसके पास से लूट का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है तथा उसे इस घटना वह सह–अभियुक्तों से कोई मतलब वो सरोकार नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि सह–अभियुक्त चंदन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को नामजद किया गया है तथा सह अभियुक्त मो0 अजीम के द्वारा प्रार्थी आवेदक का मोटरसाइकिल मांग कर ले जाया गया था तथा प्रार्थी अभियुक्त प्रस्तुत वाद में जब्त अपाचे मोटरसाइकिल के स्वामी है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 438(2) द0प्र0सं0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव जमानत का विरोध करते हुए प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन करते है। प्रस्तुत वाद सूचक तारणी त्रृषिदेव के फर्द बयान के आधार पर धारा 392 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया। संक्षेप में सूचक का कथन है कि वो दिनांक 26 / 07 / 23 को समय 02.50 बजे रात्रि में चार चक्का वाहन पीकअप BR-011GC5895 का चालक है तथा उक्त गाड़ी का मालिक सुंजीत कुमार है जो मधेपुरा का है। दिनांक 25 / 07 / 23 को सूचक अपने गाड़ी के मालिक के आदेशानुसार लकड़ी का सामान लेकर पुर्णियां गया था और करीब 10 बजे रात में वापस अपने घर के तरफ निकला। रास्ते में रानीगंज अररिया में एक ढावा पर रूककर खाना खाया और तथा खाने के बाद अपने घर के लिए बढ़ा। उसी क्रम में समय लगभग 12.30 बजे रात्रि में खजुरी बाजार अररिया होते हुए जदिय क्षेत्र अंतर्गत एनएस0 327ई0 स्थित जे0बी0सी0 नहर से लगभग 500 मीटर पश्चिम मुर्गा फार्म के पास पहुँचा कि पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी उसके गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया तथा स्कॉर्पियो पर सवार तीन व्यक्ति (चालक को छोड़कर) नीचे उतरे जिसमें से दो व्यक्ति अपने अपने हाथ में बंदुक लिये हुए थे और वे लोग सूचक को गाली गलौज करते कनपट्टी में बंदुक सटा दिये और उसे पीकअप से बाहर खींचकर उसे लप्पड़ थप्पड़ से मारने लगे, उसी में से एक व्यक्ति सूचक का पॉकेट से लाईसेंस, आधार कार्ड, शर्ट के पॉकेट से नगद 800 रू0 एवं छोटा मोबाईल छीन लिया। जो व्यक्ति सूचक को कनपट्टी में बंदुक सटाये हुए थे उसमें से एक व्यक्ति उसके पीकअप में प्लास्टिक की रस्सी निकालकर अपने गाड़ी में रख लिये और पीकअप लेकर सुपौल की ओर भाग गये। सूचक का कथन है कि उस	लगातार.....

08/04/26 लगातार	स्कॉर्पियो गाड़ी का नं. BR- 11X3276 था तथा गाड़ी सफेद रंग का था। उसके बाद वे लोग सूचक को स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा लिये और कपड़ा से उसके आंख को बांध दिया और एक घंटा का घुमाते रहा। लगभग एक घंटा बाद उसे सड़क किनारे सुनसान जगह पर छोड़ दिया। सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद सूचक द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध रात्रि के समय हथियार के नोंक पर सूचक का ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, नगद रूपया एवं छोटा मोबाईल तथा गाड़ी लूटने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभिुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है परंतु अनुसंधान के क्रम मे ंकाण्ड दैनिकी की कंडिका 128 में सह–अभियुक्त चंदन साह ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना का समर्थन करते हुए प्रार्थी अभियुक्त की उसमें संलिप्तता का समर्थन किया है। सूचक ने अपने पुनः बयान (पैरा– 7) में एवं अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों (पैरा– 25 एवं 37) में घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 09 एवं 11 से स्पष्ट है कि घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो रजि0 BR11X3276 को जदिया थाना की पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उस गाड़ी से प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गयी है और जिस संबंध में जब्ती सूची भी तैयार किया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 14, 16 व 17 से स्पष्ट है कि सह अभियुक्तों के निशानदेही पर लूटी गयी पीकअप चार चक्का वाहन रजि0 BR11GC5895 एवं अन्य दो मोटरसाइकिल भी बरामद की गयी है तथा कंडिका 127 से यह भी स्पष्ट है कि सूचक का पीकअप के साथ लूटा गया अधार कार्ड, मूल ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया गया है और बरामद सामानों का विधिवत जब्ती सूची भी तैयार किया गया है जिससे भी घटना का पूर्णतः समर्थन होता है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा वाद में अभी पूरक अनुसंधान जारी है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त पंकज कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। लेखापित ह0/– (दिलीप कुमार सिंह) अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल ज्ञापांक..... दिनांक..... प्रतिलिपिः– (दिलीप कुमार सिंह) अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	